प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 14/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' पर भादूविप्रा की दिनांक 18.09.2024 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के बैक-रेफरेंस का उत्तर दिया।

नई दिल्ली,28 फरवरी 2025 - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज भादूविप्रा की **'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' दिनांक 18.09.2024 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त बैक-रेफरेंस का उत्तर जारी** किया है।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत दिनांक 21.06.2024 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए, प्राधिकार हेतु शुल्क या प्रभार सहित, निबंधन और शर्तों पर अनुशसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण द्वारा हितधारकों से विस्तृत परामर्श के बाद दिनांक 18.09.2024 को 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' पर दूरसंचार विभाग को अनुशसाएं प्रदान की थीं।

3. इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने 14.01.2025 को एक बैक-रेफरेंस के माध्यम से सूचित किया कि 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। दूरसंचार विभाग ने बैक-रेफरेंस के माध्यम से प्रत्येक सिफारिश के संबंध में अपने प्रथम दृष्टया विचार साझा किए। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुसार उन अनुशसाओं पर पुनर्विचार करते हुए अनुशसाएं प्रदान करे, जिसके संबंध में सरकार प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनुशसाएं स्वीकार नहीं की जा सकती हैं या उनमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

4. दूरसंचार विभाग के प्रथम दृष्टया विचारों की जांच के बाद भादूविप्रा ने बैक रिफरेंस पर अपने जवाब को अंतिम रुप दिया है। प्राधिकरण द्वारा बैक रिफरेंस पर दिया गया जवाब भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव भादूविप्रा